न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ई0सी0 अपील वाद सं0–74/2014–15

नागेश्वर राम **बनाम** राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
12-5-18	**आदेश** प्रस्तुत अपील वाद नागेश्वर राम, पिता श्री कुलदीप राम, ग्राम+पो0–ब्यापुर, थाना–मनेर, जिला–पटना जन वितरण प्रणाली के दुकानदार, अनुज्ञप्ति सं0 54/2007 (रद्द) द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के आदेश ज्ञापांक 1492(आ0) दिनांक 12.12.2014 के विरूद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2001 की धारा–15 के अंतर्गत दिनांक 12.01.2015 को दायर किया गया है। अभिलेख अवलोकन किया। दिनांक 14.01.2015 को अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर प्रतिग्रहित किया गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख मांगते हुए, अगली तिथि 14.03.2015 निर्धारित की गई। दिनांक 07.05.2015 को निम्न न्यायालय के अभिलेख प्राप्त हुआ। वाद सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया गया। अपीलकर्ता नागेश्वर राम द्वारा दिनांक 12.05.2018 को एक आवेदन पत्र के साथ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C No 6798/18 नागेश्वर राम बनाम राज्य में दिनांक 17.04.2018 को पारित आदेश की सच्ची प्रति की छाया प्रति दाखिल की गयी। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के संदर्भित वाद में पारित आदेश का अवतरण निम्नवत् है :– "In the above view of the matter, this Court is satisfied that non-supply of the enquiry report to the petitioner has resulted in violation of natural justice and thus the decision making process stands vitiated. The impugned order dated 12.12.2017 (Annexure-1) is hereby quashed and the matter remanded to the Sub-Divisional Officer, Danapur for taking decision afresh in the matter after supplying a copy of the enquiry report to the petitioner and granting an opportunity of hearing in accordance with law. Supplies to the	

petitioner shall be restored without delay until fresh orders are passed by the respondent no. 3

It is made clear that in case the stand of the petitioner denying receipt of the enquiry report prior to order of cancellation being passed is found to be incorrect, the respondents shall be at liberty to approach this Court for recall of this judgment.

The writ petition stands allowed as above."

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के ऊपर वर्णित आदेश के द्वारा मामला अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर को प्रतिप्रेषित करते हुए, अपीलकर्ता को जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नए सिरे से निर्णय लेने का आदेश दिया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में अपील आवेदन पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर के मूल संचिका/अभिलेख वापस किया जाता है।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।